

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

1/2017
4-1-2017

1. सूरज यादव पुत्र कजोड़ जाति अहीर निवासी ग्राम बिचपुड़ी तह० व जिला-टोंक
2. बन्ना पुत्र श्री कजोड़ जाति अहीर निवासी ग्राम बिचपुड़ी तहसील व जिला-टोंक
.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामअवतार पुत्र मूलचन्द जावड़ा जाति खटीक निवासी संघपुरा पुरानी टोंक
2. तहसीलदार टोंक

..... रेस्पोजेण्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 22-11-2016

- उपस्थिति : (1) श्री केलाश अहलूवालिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री योगेश व्यास, श्री विवके चोधरी अभिभाषक रेस्पोजेण्ट
(3) श्री जुगनू शर्मा राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 04.01.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 22-11-2016 को अपीलान्ट्स को प्रकरण सं० 2/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी आर०टी०एक्ट के तहत निर्णय पारित कर रेस्पोजेण्ट सं० 1 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 423/1रकबा 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा 5 किस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट्स जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई तथा प्रकरण में उभयपक्ष की सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 423/1रकबा 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में दिनांक 23-11-2016 को तारीख पेशी सुनवाई हेतु नियत थी किन्तु निर्णय दिनांक 22-11-2016 को ही पारित कर दिया गया जो गलत एवं न्याय के प्राकृतिक



जिला कलेक्टर
टोंक

सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में सिवायचक थी जिस पर अपीलान्ट्स के पूर्वजों का लगभग 40-50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि बट्टी पुत्र कल्याण बैरवा निवासी चन्दलाई के नाम अलाट हो गई। बट्टी बैरवा ने उक्त भूमि दिनांक 25-5-1990 को अपीलान्ट्स सूरज अहीर को जरिए इकरारनामा बेचान करदी। बट्टी की नीयत में बेईमानी आ जाने व रेस्पोजेण्ट सं० 1 बिना कब्जे वाली भूमियों को खरीदने का आदि होने के कारण उसने बट्टी से एक नुमाइशी विक्रय पत्र अपने नाम करवा कर गलत रूप से पटवारी हल्का से साज कर बिना कब्जे के उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम भरवा लिया। बिना कब्जे के भरा गया नामान्तरकरण प्रभावशून्य व निष्प्रभावी है तथा रेस्पोजेण्ट सं० 1 केवल मात्र नुमाइशी खातेदार होने का फायदा उठाकर अपीलान्ट्स को जबरन बेदखल कराना चाहता है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके अपना निर्णय पारित किया है जो गलत एवं खिलाफ कानूनन है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बना कर उक्त निर्णय पारित किया है तहसीलदार द्वारा कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त नहीं की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोजेण्ट ने अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम चन्दलाई की आराजी खसरा नम्बर 423/1 रकबा 4 बीघा बरानी 3 भूमि का आवेदक एक मात्र खातेदार है और उक्त आराजी से अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अपीलान्ट्स जो कि सरजोर लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है और इन लोगों ने मिलकर रेस्पोजेण्ट्स को कमजोर तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण लड्ट के बल पर भूमि पर कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट्स संख्या में अधिक हैं और राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति हैं रेस्पोजेण्ट भूमि पर काश्त नहीं करने देते और लड़ाई झगड़ा कर मारने पर उतारू रहते हैं इस कारण रेस्पोजेण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक रेस्पोजेण्ट की बहस का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलान्ट्स ने रेस्पोजेण्ट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रख है जिसे हटवाने हेतु तहसीलदार टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही एवं उचित है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप तथ्यहीन व निराधार है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23-11-2016 में अंकित है कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी टोंक का स्थगन है पत्रावली दिनांक 23-11-2016 को पेश हो। दिनांक 23-11-2016 को तारीख पेशी नियत होने के उपरान्त प्रार्थी रामअवतार के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण की सुनवाई 8-11-16 को की गई जिसमें तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर पत्रावली 16-11-16 को पेश हो अंकित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16-11-16 की आदेशिका में 18-11-16 तारीख पेशी अंकित की गई। दिनांक 18-11-16 को अप्रार्थीगण को अनुपरिथत बताते हुए आदेश में 22-11-16 अंकित की गई, दिनांक 22-11-16 को निर्णय पारित कर दिया गया। इससे सिद्ध है कि निर्णय अपीलान्ट्स को

जिला कलेक्टर
टोंक

सुने बिना एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को जारी नोटिसों पर विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। यदि अपीलान्ट्स घर पर मौजूद नहीं मिल रहे थे और तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में नोटिस अदम तामील थे तो नियमानुसार आदेशिका में तामील चस्पान्दगी से करवाने का नोट अंकित कर तामील करवानी चाहिये थी किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22-11-2016 अपास्त किया जाकर तहसीलदार टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि मौके की स्थिति व साक्ष्यो को ध्यान में रखते हुये तथा अपीलान्ट्स से पर्याप्त साक्ष्य ग्रहण कर सुनवाई का अवसर प्रदत्त रिकार्ड का परिक्षण व जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक